


208

24

निगम-4092/2018/रीवा म०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०



मोहसिन खां तनय श्री श्यामसुलखा निवासी ग्राम अमिरती तहसील गुड
जिला रीवा म०

आवेक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. मो० आबिद खां तनय अब्दुल खालिक खां
2. मो० खालिद खां तनय अब्दुल खालिक खां
3. नईम खां तनय अमरुजमा खां
4. अस्करी खां तनय अब्दुल इमामुलखां
5. मोहतरम खां तनय इमामुल खां
6. बलराज खां तनय कमरुजमा खां

सभी निवासी अमिरती तहसील गुड जिलारीवा म०-- अना०/गैरनिगरानीकर्तागण

असि० श्री प्रकाश
प्रिया, 230 गंगा पेडा।
04-7-18

निगरानी बिन्दु न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर
महोदय रीवा, जिला-रीवा म० के पकरण क्रमांक
26/अ-74/मूल/2014-15 आदेश दि. 7/8/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० 50 मू-राजस्व संहिता
1959 ई०

निरन्तर 2पर

मोहसिन खां

(Handwritten signature)

(84)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निगं ५०५२/१८/भू-राज जिला-रीवा

मोहसिन खां विरुद्ध जां आबिद खां वगैर

(1)

(2)

167-19- 1. आवेदक की ओर से श्री शशि कान्त त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 26/37-74/भू/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 07.08.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य

मोहसिन खां